न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 269/2017/225 आर टी ए

हरपालसिंह पुत्र बचनसिंह जाति मेघवंशी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. जोगेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह जाति मेघवंशी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–––असल रेस्पो0

2. जसवंतसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति मेघवंशी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. बलकरण सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति मेघवंशी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. कलवंतसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति मेघवंशी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. मिश्री पुत्री आत्मासिंह जाति मेघवंशी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23.05.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया प्र0सं0 119/2016 बअनवानी जोगेन्द्रसिंह बनाम जसवंतसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजेन्द्र सिंह मोट्यार अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 6

निर्णय दिनांकः–07.12.2017

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपीलांट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण खारिज योग्य है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प.न. 189/161 मु.न. 11 कि.न. 7, 14, 17, 18, 21, 22 व प.न. 188/161 के मु. न. 10 के कि.न. 25 व प.न. 188/162 मु.न. 24 के कि.न. 5, 6, 15, 16 रास्ता चाहा गया था जिस पर दिनांक 06.12.2016 को तहसीलदार संगरिया द्वारा रिपोर्ट पेश की गई

जिसमे प.न. 188/161 मु.न. 10 के कि.न. 15, 16 से मंजूर रास्ता निकटतम होने के कथन किये तथा रेस्पो0 सं. 1 को अपनी आराजी मे जाने के लिए निकटतम रास्ता मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिया जा सकता था। विधि अनुसार जो सबसे निकटतम है वही रास्ता मंजूर किया जा सकता है वही रास्ता मंजूर होना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर ध्यान न देकर कानूनी भूल की है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कानूनन जो सबसे निकटतम रास्ता है, को ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। वर्तमान मे दिनांक 08.05.2017 से 30.06. 2017 न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान चल रहे थे जिससे प्रकरण मे कोई भी आगामी पेशी नही दी गई थी तथा प्रकरण अभी अपीलांट की तलबी हेतु चल रहा था। जैसा दिनांक 25.04.2017 की फर्द अहकाम से स्पष्ट है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व अपीलांट की तलबी करवाये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार दोनो पक्षकारो को सुनकर ही प्रकरण का निर्णय किया जाना अति आवश्यक है। अपीलांट की कृषि भूमि रेस्पो0 के साथ सांझे खाते मे दर्ज है तथा सांझे खाते की भूमि मे से बिना खाता विभाजन करवाये रेस्पो0 सं. 1 कानूनन रास्ता मंजूर नही करवा सकता था लेकिन विचारण न्यायालय ने सांझे खाते की भूमि मे अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे डीएनजे 2017 पेज 169 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 को अपने खेत मे आने जाने के लिए चक 2 एनटीडब्ल्यू–ए के प.न. 189/160 मु.न. 11 कि.न. 7, 14, 17 के पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण व कि.न. 17 व 18 के दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम तथा कि.न. 21, 22 के उतरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम प.न. 188/161 मु.न. 10 के कि.न. 25 के पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण व इसी अनुसार आगे प.न.188/162 मु.न. 24 के कि.न. 5,6,15,16 के पूर्व दिशा मे पत्थर लाईन से चिपता हुआ उतर से दक्षिण एक एक बिस्वा चौड़ा रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहा था जिसे अपीलांट द्वारा बिना किसी कारण बन्द करने पर रेस्पो0 सं. 1 द्वारा रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो सही है। रेस्पो0 सं. 1 को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अगर अपीलाधीन

आदेश के जरिये स्वीकृत किया गया रास्ता निरस्त कर दिया जाता है तो रेस्पो0 सं. 1 को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिस कारण रेस्पो0 को अपने खेत मे आने जाने व कृषि यन्त्र ले जाने हेतु असुविधा होगी। प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत अन्य सहकाश्तकार रेस्पो0 सं. 2 ता 5 द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई मात्र अपीलांट द्वारा सहमति नही दी गई। परन्तु रेस्पो0 सं. 1 को प्रश्नगत रास्ता अति आवश्यकता है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6 ने अपनी बहस मे कथन किया कि कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अपीलांट की खातेदारी भूमि जो सांझे खाते दर्ज मे चक 2 एनटीडब्ल्यू–ए के प. न. 189/160 मु.न. 11 कि.न. 7, 14, 17 के पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण व कि.न. 17 व 18 के दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम तथा कि.न. 21, 22 के उतरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम प.न. 188/161 मु.न. 10 के कि.न. 25 के पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण व इसी अनुसार आगे प.न.188/162 मु.न. 24 के कि.न. 5,6,15,16 के पूर्व दिशा मे पत्थर लाईन से चिपता हुआ उतर से दक्षिण एक एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जबकि उक्त रास्ता जो अपीलांट की खातेदारी भूमि मे स्वीकृत किया गया, जिसमे अपीलांट की तामील नही करवाई गई जिसके कारण अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ। प्रश्नगत भूमि रास्ता अपीलांट को बिना सुने एवं बिना तलबी करवाये स्वीकृत किया गया।

7. तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 5 आपस मे सहमत है तथा इसी रास्ते से सभी आवागमन करते है पेड़ आदि नही है। परन्तु अप्रार्थी सं. 6 सहमत नही है। प्रार्थी के रकबा से एनटीडब्ल्यू नहर के पास से गुजरने वाले रास्ते से प.न. 188/161 मु.न. 10 कि.न. 15 से कि.न. 21 को गुजरने वाला कटानी रास्ता (मंजूरशुदा) निकटतम रास्ता है। प्रार्थी का प.न. 188/161 कि.न. 25 मंजूरशुद रास्ते से कि.न. 16 मे होकर निकटतम पड़ेगा। इस प्रकार यह प्रथम दृष्टयां

साबित था कि प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत अपीलांट सहमत नही था इसके बावजूद भी अपीलांट को अपने पक्ष रखने बाबत कोई अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रश्नगत प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता के बिन्दू को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकार की बिना तामील करवाये एवं बिना सुने पारित आदेश पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का 2 माह मे निस्तारण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 22.12.2017 को उपस्थित हो।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

पुनः निर्णय पारित किये जाने तक वर्तमान मे चालू एवं स्वीकृत रास्ता चक 2 एनटीडब्ल्यू–ए के प.न. 189/160 मु.न. 11 कि.न. 7, 14, 17 के पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण व कि.न. 17 व 18 के दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम तथा कि.न. 21, 22 के उतरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम प.न. 188/161 मु.न. 10 के कि.न. 25 के पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण व इसी अनुसार आगे प.न. 188/162 मु.न. 24 के कि.न. 5,6,15,16 के पूर्व दिशा मे पत्थर लाईन से चिपता हुआ उतर से दक्षिण एक एक बिस्वा चौड़ा से रेस्पोडेंट के आवागमन मे अवरोध नही करने के संबंध मे अपीलाण्ट को पाबन्द किया जाता है।